रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 1972/फाल्गुन 23, 1893

**No. 140] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 13, 1972/PHALGUNA 23, 1893**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.**

## CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

*CORRIGENDA*

WEALTH-TAX

*New Delhi, the 13th March 1972*

**S.O. 184(E).**—In the corrigenda to the Wealth-tax (Amendment) Rules, 1971, published with the notification of the Central Board of Direct Taxes No. S.O. 5241, dated the 22nd November, 1971, at pages 3153-3154 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24th November, 1971,—

(1) at page 3153,—

(i) in line 3, *for* "INCOME-TAX" *read* "WEALTH-TAX";

(ii) in line 9, *for* "1404" *read* "1400";

(iii) in line 10, *for* "colum" *read* "column";

(iv) in line 11, *for* "1404" *read* "1401";

(2) at page 3154,—

(i) in line 5, *for* "Value Rs. " *read* "Value Rs. ";

(ii) in line 6, *insert* ";" at the end

[No. 58/F. No. 143(1)/71-TPL]

R. R. KHOSLA, Secy

Central Board of Direct Taxes

## केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

### शुद्धि पत्र

धन-कर

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1972

एस० ओ० 184(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), दिनांक 24 नवम्बर, 1971/3 अग्रहायण 1893 (शक) में प्रकाशित 22 नवम्बर 1971 के शुद्धि-पत्र का० आ० 5241 में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं :—

(1) पृष्ठ 3154 पर दूसरी पंक्ति में "अधिसुचना सं० 63/फा० सं० 743" को "अधिसूचना सं० 63/फा० सं० 143" पढ़ा जायगा ।

(2) उसी पृष्ठ पर, क्रम सं० 2 की दूसरी पंक्ति में "स्थिन" को "स्थित" पढ़ा जायगा ।

(3) पृष्ठ सं० 3155 पर क्रम सं० (5) की पहली पंक्ति में तीसरे शब्द "तर" को "पर" पढ़ा जायेगा ।

(4) उसी पृष्ठ पर क्रम सं० (9) की पहली पंक्ति में छठे शब्द "शीष" को "शीर्ष पढ़ा जायेगा ।

(5) उसी पृष्ठ पर क्रम सं० (13) की पहली पंक्ति में "मूल्याकन" और "मूल्यांकन" शब्दों का स्थान परस्पर बदल जाएगा ।

(6) उसी पृष्ठ पर क्रम सं० (19) की पहली पंक्ति के अंतिम शब्द "वृत्तिया" को "वृत्ति या" पढ़ा जायेगा ।

[सं० 59/फा० सं० 143(1)/71—टी० पी० एल०]

आर० आर० खोसला,

सचिव,

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972